

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 4165-4205

दिनांक : 01/12/2023


:- कार्यालय आदेश :-

मैं मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **दिसम्बर, 2023** में पडने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करती हू। निम्नांकित अधिकारीगण अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	अवकाश तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	03.12.2023	श्रीमति गुंजन सिंह ए.सी.जे.एम (पी.सी.पी.एन.डी.टी) कोटा	8003731984
2	09.12.2023	डॉ. श्री महेश कुमार कुमावत न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), कोटा	9829044501
3	10.12.2023	सुश्री पारूल पारीख न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2(दक्षिण), कोटा	6375558614
4	17.12.2023	सुश्री पृथा फौजदार विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम-4 कोटा	9588020727
5	23.12.2023	श्रीमति शैला फौजदार ए.सी.जे.एम क्रम-5, कोटा	9588017388
6	24.12.2023	सुश्री कान्ता कुमारी न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), कोटा	7891247026
7	*25.12.2023	श्रीमती विभा आर्य ए.सी.जे.एम. नंबर - 1 कोटा	8527560986
8	31.12.2023	श्री अमित दवे ए.सी.जे.एम. नंबर - 7 कोटा	9982150521
9	01.01.2024	श्रीमती मिति श्रीवास्तव विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम-2 कोटा	9479376601

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।**


 (मनीषा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राज.)
 कोटा (राज.)